

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

(11)

फर्द अहकाम

तारीख 2.2.2012


सु.न. 7/12

उनवान - शिवराम vs रामसहाय के.०

प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री विजय भारतीय एडवोकेटने प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थनापत्र शपथ-पत्र, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की एक तरफ बहस सुनी गई। प्रथम हारका मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को आज्ञा दी सुनवाई लिये तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम गार्गीपुर तहसील टोडाभीम खिल ग्राम खसरा नम्बर 17, 67, 167, 215, 276, 306, 379, 380, 382, 384, 419, 441, 442, 443, 590, 593, 594, 595, 598, 599, 600, 606, 667, कुल फिता 23 कुल रकबा 3.86 हेक्टेयर में प्रार्थी के हिस्से में मजामहत, मदावलत नहीं करें। रिकार्ड एवं मैफि की यथास्थिति बनाये रहें। वकील प्रार्थी को हिदायत की गई रजिस्टर्ड A/D डाक पोस्टेज पेश करें। डाक पोस्टेज पेश होने पर नोटिस जारी हों। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजि. कर पत्रावली दि. 23.2.12 को पेश हो।

2/2-18
2-2-12


उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम, करौली (राज.)

23 ²/₁₂
प्रार्थी वकील उपस्थित / गैर सापेक्ष नं 1, 6, 7 की तामीर वि विवर हे चुकी है। चाप बूड तामीर की भी उपस्थित नहीं। शेष गैर सापेक्ष नं 2, 3, 4, 5 के लोडिंग तामीर साबत नहीं। इन्जिन नोटिस तामीर P.O साख्य कृमण पर चर्चा है। बारले अमीम तामीर (राज.)

परि न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
6.10.15	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रायों वकील व प्रायों उपस्थित नहीं। कई बार आज्ञा दिली गयी। फिर भी कोई उपस्थित नहीं। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अदम सेव्ही अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। फौसल शुभार होकर गम्बर से नाम कर दाखिल दफ्तर हो।</p>

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करोली)

सा. नं. 28P
2/2/15